न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 134/2017/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 1.11.2017
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

कन्हैयालाल आत्मल आनन्दीलाल जाति मेहर निवासी ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

1. कंचन बाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी रूपचंद जाति मेहर निवासी ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा।
2. नन्दकंवर पुत्री आनन्दीलाल पत्नी रामकरण जाति मेहर निवासी सदडी चार चौमा के पास तहसील दीगोद जिला कोटा
3. द्रोपदी पुत्री आनन्दीलाल पत्नी मांगीलाल जाति मेहर निवासी काजीहेडा पो0 जाकोडा तहसील लाडपुरा कोटा।
4. भूलीबाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बजरंगलाल जाति मेहर निवासी कुराड तहसील कनवास हाल निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. प्रेमबाई पुत्री आनन्दीलाल पत्नी बजरंगलाल जाति मेहर निवासी कुराड तहसील कनवास हाल निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. ग्राम पंचायत कुराड तहसील कनवास जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट
श्री नरेन्द्र कुमार गुंप्ता अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 1.10.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नम्बर 29/एलआर/विरासत बउनवान कंचनबाई बनाम कन्हैयालाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 14.9.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि पूर्व खातेदार केस बेवा रामा, आनंदा पुत्र रामाजाति मेहर निवासी ग्राम कुराड के खाते व कब्जेकाश्त की 11 किता की 74 बीधा 7 बिस्वा ग्राम कुराड स्थित आराजी जिसके हाल ख0 नं0 297 रकबा 0.18 है ख0 नं0 298 रकबा 4.04 है0 ख0 नं0 885 रकबा 0.56 है0 ख0 नं0 888 रकबा 0.75 है0 ख0 नं0 889 रकबा 0.23 है0,ख0 नं0 891 रकबा 0.14 है0 ख0 नं0 892 रकबा 1.09 है0 ख0 नं0 893 रकबा 0.25 है0 ख0 नं0 980 रकबा 0.50 है0 ख0 नं0 981 रकबा 0.09 है0 ख0 नं0 1275 रकबा

0.02 है0, ख0 नं0 1356 रकबा 0.01 है0 ख0 नं0 1357 रकबा 0.89 है0 ख0 नं0 1275 रकबा 0.02 है0 ख0 नं0 1356 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 1357 रकबा 0.89 है0 ख0 नं0 1494 रकबा 2.38 है0 ख0 नं0 1515 रकबा 0.90 है0 कुल किता 15 रकबा 12.03 है0 है। सहखातेदार केसर के फोत होने के बाद ग्राम पंचायत कुराड द्वारा इंतकाल सं0 129 दिनांक 9.2.1971 से राजस्व रिकार्ड मे मृतक केसर के स्थान पर कैन्यालाल पुत्र आनन्दीलाल का नाम बांट बराबर मे दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध अपील सं0 126/06 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनाकं 31.8.2006 ो इंतकाल सं0 129 का निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कनवास को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील सं0 170/2006 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 15.3.2007 को इंन्तकाल सं0 129 को विधि विरूद्ध मानते हुये अपील खारिज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद का निर्णय बहाल रखा गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल मे निगरानी प्रस्तुत की गई। मण्डल द्वारा दिनांक 19.8.2016 से निगरानी खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को बहाल रखा गया। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा पारित रिमांड आदेश की पालना मे प्रार्थी कंचनबाई व अप्रार्थी 1 लगायत 5 क्रमशः कन्हैयालाल नन्दकंवर, गोमदी, भूलीबाई व प्रेमबाई पिसरान आनंदा (आनन्दीलाल) मृतक केसर के विधिक उत्तराधिकारी होने से उनके नाम बांट बराबर से विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का तहसीलदार (भू अभि0) कनवास द्वारा दिनांक 14.9.2017 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर कन्हैयालाल ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना इंतकाल खोलने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी के एकमात्र खातेदार रामाजी थे जो संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति है। रामाजी के स्वर्गवास के बाद केसर बेवा रामा व आनन्दीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गयी। तत्पपश्चात केसर बेवा रामा का स्वर्गवास हो जाने पर इंतकाल सं0 129 दिनांक 9.2.1971 से अपीलांट के नाम दर्ज किया गया उक्त इंतकाल सही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर निरस्त कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। केसर बाई अपने हिस्से की स्वयं मालिक थी जिसे अपने हिस्से का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार व स्वत्व प्राप्त थे उक्त अधिकारों का उपयोग कर ही केसरबाई ने अपीलांट को आराजी प्रदान की है जिसका अपीलांट वर्ष 1971 से निरन्तर उपयोग व उपभेग करता चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 का नाम दर्ज करने मे सहमति प्रदान नही की है किन्तु फिर भी त्रुटि पूर्ण रूप से अपीलांट की सहमति आलेंखित करदी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष मे सम्पूर्ण आराजी का इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये विवादित आराजी के संबध मे वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीए का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास मे लम्बित है अतः पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण उक्त वाद मे होगा। तब के लिये विवादित रखते हुये कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया। अपीलांट वसीयत के आधार पर आये है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी सांगोद के रिमांड आदेश की पालना मे जेरअपील निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही मे स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता। अपीलांट जेरअपील आदेश से किसी प्रकार व्यथित है तो रेगूलर वाद पेश कर अपने हक हकूको का निर्धारण करावे। वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार का बिन्दू सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है अपने कथन

के समर्थन मे आरआरडी 1977 पेज 378, आरआरडी 2003 पेज 415 राज0 हाई कोर्ट, डीएनजे 2019 (एससी) पेज 131 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी 1977 पेज 378, आरआरडी 2003 पेज 415 राज0 हाई कोर्ट, डीएनजे 2019 (एससी) पेज 131 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपीयों के अवलोकन से प्रकट होता है अपीलांट व रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा विवादित आराजी को लेकर राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेगूलर वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे लम्बित है जिसमे पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा अपील सं0 126/06 मे पारित निर्णय/रिमांड आदेश दिनाकं 31.8.2006 की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड, साक्ष्य सबूत के आधार पर मृतक केसर के एक मात्र वारिस उसका पुत्र आनंदा तथा आनंदा की मृत्यु हो जाने से आनंदा के विधिक वारिस कंचन व कन्हैयालाल, नन्दकंवर गोमदी, भूलीबाई व प्रेमबाई मृतक केसरा के विधिक वारिस होने से विवादित आराजी को उनके बांट बराबर मे दर्ज किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का जेरअपील निर्णय दिनांक 14.9.2017 पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा